<u>अपील प्रकरण क्रमांक ए/345/2013</u>

19/09/2014

प्रकरण प्रस्तुत। पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक श्री हरचरण सिंह भाटिया ने आयोग द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 345/2013 में पारित आदेश दिनांक 9.1.2014 को त्रुटिपूर्ण बताते हुए पुनर्विलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस संबध में मान0 उच्च न्यायालय छ0ग0, बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन (C) 694/2012 खेमराज देवांगन वि0 छ0ग0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2013 में यह पाया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग को रिव्यू का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण कोई स्पष्ट भूल प्रतीत नहीं होती और न ही Misscarrige of justice होना प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत रिव्यू का आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त